लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गो के निर्माण के सम्बन्ध में जारी नीति के क्रम में नए मोटर मार्गो के सामान्य अनुरक्षण कार्यो के सम्बन्ध में दिनांक 20 मई, 2019 को अपरांह 2.30 बजे अपर मुख्य सचिव, लोनिवि, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्त :–

1– बैठक में संलग्न उपस्थिति पत्रक में अंकित अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया ।

2– लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गो के निर्माण के सम्बन्ध में जारी नीति के शासनादेश संख्या 8167/III(2)/18–15(समान्य)/2018 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के बिन्दु संख्या (xi) में यह उल्लिखित है कि नये मोटर मार्गो के सामान्य अनुरक्षण कार्यो हेतु कार्य समाप्ति के Defect Liability Period सहित 03 वर्ष तक के लिए अनुबन्ध मे ही यह प्राविधान कर दिया जाये कि मोटर मार्ग का अनुरक्षण भी सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा प्रथम वर्ष हेतु कुल लागत का 0.5 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष हेतु कुल लागत का 1.00 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष हेतु कुल लागत का 1.5 प्रतिशत की दरों पर किया जाये, इस अवधि में सामान्य अनुरक्षण में कोई धनराशि आंबटित नहीं की जायेगी। कतिपय बिन्दुओं पर शासन स्तर में परीक्षणोंपरान्त निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :–

क. लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले जिन मार्गो पर कार्य किया जा रहा है यदि अब तक उनका विवरण D TO I में अंकित न किया गया हो तो इसको D TO I में अंकित किया जाना चाहिए।

ख. अनुबन्ध में ही D.L.P से लेकर कुल तीन वर्ष तक का अनुरक्षण ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।

ग. अनुबन्ध में तद्नुसार अनुरक्षण की मदों एवं शर्तो का उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

घ. कम लम्बाई के मार्गो में यह भी संभावना रहेगी कि ठेकेदार कार्य करने के उपरान्त कार्य छोड़ दें। अतः अनुरक्षण की लागत हेतु Security अलग बनाकर बंधक रहे ताकि ठेकेदार द्वारा कार्य पूरे समय किया जा सके।

च. कार्य को छोड़ने की स्थिति में ठेकेदार को किस प्रकार दंडित किया जायेगा अथवा क्या कार्यवाही की जा सकेगी का उल्लेख अनुबन्ध में नहीं किया जा रहा है।

छ. विभाग को D TO I में यह भी स्पष्ट रखना होगा कि अनुरक्षण किन मार्गो पर Contract में लिया गया है व कितनी लम्बाई में ताकि अनुरक्षण का धन आवंटन में उस Division की उतनी लम्बाई का अनुरक्षण जो पूर्व में किया जा चुका है को पुनः न किया जाये।

ज. इस प्रकार विभाग के पास अनुरक्षण करने वाले Contractors का Pool बन जायेगा जिसका लाभ भविष्य में केवल Maintenance हेतु अधिक लम्बाई के मार्गो पर निविदा निकालने पर भी विचार किया जा सकेगा। क्योंकि विभागीय रखरखाव निरन्तर गैंग के अभाव में खराब ही हो रहा है।

3– उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में बैठक में विस्तृत चर्चा की गयी। बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के उपरान्त अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा मुख्यतः निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिये गये :–

(1) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गो के निर्माण के सम्बन्ध में जारी नीति सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के बिन्दु संख्या (xi) में उल्लिखित् प्राविधान – नये मोटर मार्गो के सामान्य अनुरक्षण कार्यो हेतु कार्य समाप्ति के Defect Liability Period सहित 03 वर्ष को वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड–6 में यथास्थान प्राविधानित किए जाने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जाय।

(2) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गो के निर्माण के सम्बन्ध में जारी नीति सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के क्रम में अनुरक्षण हेतु पृथक से सब हैड खोले जाने का प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाय। इस सम्बन्ध में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून शासन को शीघ्र उपलब्ध करायेंगे।

(3) प्रदेश के मार्गो/पुलियों का अनुरक्षण कार्य तथा पैच मरम्मत कार्य मद में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किए जाने हेतु शासनादेश दिनांक 01 मई, 2019 द्वारा निर्धारित तीन प्रारूपों पर मांगी गयी बिन्दुवार सूचनायें आतिथि तक शासन को अप्राप्त है, जिसे शीघ्र उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रमुख अभियन्ता को निर्देशित किया गया।

उक्त प्रस्तर–2 में अंकित बिन्दु संख्या – 'क' से 'ज' तक में उल्लिखित प्रत्येक बिन्दु पर SP-20, Maintenance Manual of PMGSY, SBD PMGSY व PWD,ADB Maintenance Manual, GPW-9, पर विचार करते हुए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून शासन को शीघ्र उपलब्ध करायेंगे ताकि तदनुसार समुचित निर्णय लिया जा सके।

अन्त में अध्यक्ष, द्वारा उक्तानुसार लिये गये निर्णय के क्रम में तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने एवं समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही पूर्ण हुई।

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–2,
संख्या : 2135 / III(2)–15(सामान्य)–2018 / 19
देहरादूनः दिनांकः 28 मई, 2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण
3. कार्यालय प्रति / गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव।

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गो के निर्माण के सम्बन्ध में जारी नीति के क्रम में नए मोटर मार्गो के सामान्य अनुरक्षण कार्यो के सम्बन्ध में दिनांक 20 मई, 2019 को अपरांह 2.30 बजे अपर मुख्य सचिव, लोनिवि, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक में **उपस्थिति–**

क्र0 स0	अधिकारी का नाम	पद नाम	विभाग
1.	श्री एल0एन0 पन्त	अपर सचिव	वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2.	श्री एस0एस0 टोलिया	संयुक्त सचिव	लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3.	ई0 ललित मोहन	तकनीकी सलाहकार	लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4.	ई0 हरिओम शर्मा	प्रमुख अभियन्ता	लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5.	ई0 सतेन्द्र शर्मा	मुख्य अभियन्ता	लोक निर्माण विभाग (मुख्यालय) देहरादून।
6.	श्री डी0डी0 डालाकोटी	सलाहकार, एस0पी0सी0	नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7.	ई0 जी0पी0 पंत	तकनीकी एक्सपर्ट एस0पी0सी0	नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।